दिनांक 20.09.2024 ”स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई“

अवैध अतिक्रमण पर तड़के सुबह 6 बजे से नगर निगम भिलाई ने की बड़ी कार्यवाही

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत नंदनी रोड एवं पावर हाउस फल मण्डीए पार्किंग पर निगम की बड़ी तोड़फोड़ कार्यवाही की गई। निगम क्षेत्र में नंदनी रोड के किनारे करूणा हॉस्पिटल से लेकर पावर हाउस चौक, छावनी थाना, तक अवैध फल विक्रेताए ठेला.खुमचा टीन शेड लगाकर दुकान संचालन किया जा रहा था। जिससे सड़क में बाधा उत्तपन्न हो रही थी। ग्राहको से रोड जाम हो रहा था, दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी। आयुक्त अशोक द्विवेदी स्वयं मौके पर उपस्थित होकर अवैध अतिक्रमण पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की निगरानी कर रहे थे। अतिक्रमण की कार्यवाही बिना किसी भी भेदभाव के एक सीरे से की गई। इसी प्रकार छावनी थाने से लेकर करूणा अस्पताल तक तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। ऐसी शिकायत मिल रही थी कि रोड के ऊपर अतिक्रमण करके व्यवसाय किया जा रहा है।जिससे ट्रैफिक व्यवस्था अवरुद्ध हो रही है । सभी व्यापारियो को नोटिस दिया गया, मुंनादी भी कराया गया। संयुक्त जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम भिलाई की सयुंक्त टीम बनाकर सुबह 6 बजे स्थल पर पहुंच गये। कार्यवाही करूणा अस्पताल से शुरू किया गया। एक–एक करके थाना छावनी तक कार्यवाही जारी रहा। सुबह के समय कार्यवाही इस लिए किया गया कि किसी प्रकार का ट्रैफिक व्यवस्था अवरूद्व न हो। तोड़फोड़ कार्यवाही के दौरान निगम भिलाई तहसीलदार गुरूदत्त पांच भाई, दुर्ग तहसीलदार क्षमा यादव, जोन आयुक्त बी के वर्मा, राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी, सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, अनिल मेश्राम, जे.पी. तिवारी, प्रशन्न तिवारी, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, उपअभियंता शेखर सुमन मरकाम, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, तोड़फोड़ के अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।